"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021 — फाल्गुन 25, शक 1942

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–7/2015/16 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और AIR 1998 SC 1233 में महाराष्ट्र सरकार विरूद्ध श्रम विधि व्यवसायी संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 6 के उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ख) योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा, श्रम न्यायालय के श्रम न्यायाधीश के विद्यमान संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1–7/2015/16 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2015/16 (पार्ट), दिनांक 12–3–2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 12th March 2021

NOTIFICATION

No. F 1-7/2015/16 (Part).— In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and in the light of dictum of the Hon'ble Supreme Court in the matter of State of Maharashtra Vs Labour Law Practitioners Association and Other reported in AIR 1998SC1233 the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court and the State Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For clause (b) of sub-rule (2) of rule 6, the following shall be substituted, namely:-

"(b) by promotion from existing cadre of Labour Judge of Labour Court on the basis of merit-cum seniority, by the High Court."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.